

Form-III  
फर्द अहकाम

जज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी गढ़ी जिला बांसवाड़ा

प्रतिवादी शंकर पिता नागु 248 जाति गीह वनाम शंकर पिता नागु 248 जाति गीह वनाम  
बिवासी थाली तलाई बिवासी थाली तलाई

क्रिम मुकदमा :- 88/188/2019 RJN-136 LR M

प्रकरण संख्या 14/20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ईनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
28/3/18 2/4/18	<p>पत्रावली बाद जांच दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादी शंकर पिता नागु 248 जाति गीह निवासी थाली तलाई ने अन्तर्गत धारा 88/188/2019 राजस्थान कारतकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादी शंकर पिता नागु 248 जाति गीह निवासी थाली तलाई के विरुद्ध वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी के नाम सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 30/4/18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी गढ़ी, जिला बांसवाड़ा</p>	
29.10.18	<p>पत्रावली प्राप्त हुई। वही अतिमात्र उपस्थित। उतिवादी के नाम जारी सम्मन तामिल भद्रम तामिल अक्षर/समय 10.0. साक्ष्य प्रस्तुत कार्य में आता। पत्रावली पुनः तालकी दिनांक 17.1.19 को पेश हो।</p>	
17.1.19	<p>पत्रावली पेश हुई। अतिमात्र उपस्थित। उतिवादी अतिमात्र ने जवाब देते समय-प्राप्त। समय दिनांक जाकर पत्रावली वही जवाब दिनांक 31.1.19 को पेश हो।</p>	
31.1.19	<p>पत्रावली पेश हुई। अतिमात्र उपस्थित। उतिवादी अतिमात्र ने जवाब देते समय-प्राप्त। अतिमात्र ने जवाब देते समय-प्राप्त। अतिमात्र ने जवाब देते समय-प्राप्त।</p>	

